रजिस्टर्ड नं0-ल0 33/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 15 दिसम्बर, 1990/24 अग्रहायण, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 दिसम्बर, 1990

संख्या: गृह (ए)ए(9)-48/90 —भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1990 में मण्डल आयोग रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने हेतु, की गई घोषणा के पश्चात्, जिला सोलन के नालागढ़, उपमण्डल में इस घोषणा के विरुद्ध आन्दोलन हुए,

और राज्य सरकार ने नालागढ़, उपमण्डल के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए,

और यह आरोप लगाया गया कि 18 सितम्बर, 1990, को पुलिस ने बिना किसी उतेजना के आन्दोलन-कारियों पर ज्यादतियां कीं,

3079-राजपत्र/90-15-12-90 —1,184. मूल्य : 1 रुपया ।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन होगा कि सार्वजनिक हित के कतिपय निश्चित मामलों और 18 सितम्बर, 1990 को आन्दोलनकारियों पर हुई कथित ज्यादतियों की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाए,

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आर0 एन0 बंसल, आयुक्त एवं सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, को जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं और यह भी निदेश देते है कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर वह उपरोक्त घटना से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों पर जांच करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे:—

1. 18 सितम्बर, 1990 को नालागढ़ में आन्दोलन के कारण घटनास्थल पर क्या परिस्थितियां थीं ?
2. उस दिन आन्दोलनकारियों द्वारा की गई हिंसा के पीछे क्या कारण थे ?
3. उस दिन सार्वजनिक तथा निजि सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ ?
4. पुलिस को किन कारणों तथा परिस्थितियों में गोली चलानी पड़ी ? और
5. अन्य मामले जो आयोग की राय में, उपर्युक्त घटना के तथ्यों को सुनिश्चित करने में सुसंगत हों?

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, की आगे यह राय है कि इस सम्बन्ध में की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा इस मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (2), (4) और (5) के उपबन्धों को आयोग के लिए लागू किया जाए और उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देते हैं कि धारा 5 की उप-धारा (2), (4) और (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध आयोग को लागू होंगे ।

जांच आयोग का मुख्यालय नालागढ़ में होगा ।

आदेशानुसार,

एम0 एस0 मुखर्जी,
मुख्य सचिव ।

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 10*th December*, 1990

No. Home (A)A(9)48/90.—Whereas there had been agitations in Nalagarh Sub-Division of District Solan against the implementation of Mandal Commission Report after the announcement of its implementation by the Government of India in the month of August, 1990;

And whereas the State Government deployed the security forces in Nalagarh Sub-Division at various sensitive points in order to maintain law and order there and to prevent any untoward situation;

And whereas, it has been alleged that the police had committed excesses on agitators on 18th September, 1990 without any provocation;

And whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in public interest to appoint a Commission of Inquiry to enquire into certain

definite matters of public importance and alleged excesses on agitators on 18th September, 1990;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 3 of the Commission of Inquiries Act, 1952, is pleased to appoint Shri R. N. Bansal, Commissioner-*cum*-Secretary, Government of Himachal Pradesh as the Commission of Inquiry and to enquire into and report on the following matters in relation to the aforesaid incident, within one month from the date of this notification:—

(1) What were the circumstances prevailing on the spot at Nalagarh on September 18, 1990, on account of agitation there?

(2) What were the reasons behind violence by the agitators on the said day?

(3) What was the extent of damage to public and private property on the said day?

(4) What were the reasons and circumstances under which the firing was resorted by the police? and

(5) Any other matter which in the opinion of the Commission is relevant for the ascertainment of facts relating to the aforesaid incident.

Further, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that, having regard to the nature of the enquiry to be made and other circumstances of the case, the provisions of sub-section (2), (4) and (5) of section-5, of the Commission of Enquiries Act, 1952 should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section-5 of the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to direct that the provisions contained in sub-section (2), (4) and (5) of Section-5 of the said Act shall apply to the Commission.

The Commission of Inquiry shall have its headquarters at Nalagarh.

By order,

M. S. MUKERJEE,
Chief Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 दिसम्बर, 1990

संख्या गृह (ए) ए (9)-48/90.—भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1990 में मण्डल आयोग रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने हेतु की गई घोषणा के पश्चात् धर्मशाला में इस रिपोर्ट के पक्ष और विरोध में आन्दोलन हुए,

और धर्मशाला में आरक्षण समर्थकों और आरक्षण विरोधियों के बीच 6 सितम्बर, 1990 को झड़पें हुईं, जिसके फलस्वरूप हिंसा हुई और सार्वजनिक और निजि सम्पत्ति को नुकसान हुआ,

और धर्मशाला में तैनात पुलिस बल को 6 सितम्बर, 1990 को, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा,

और यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने दोनों वर्गों में झड़पों के दौरान उन पर ज्यादतियां की हैं,

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन होगा कि सार्वजनिक महत्व के कतिपय विशिष्ट मामलों और दोनों वर्गों के बीच हुई झड़पों के कारणों और कथित पुलिस ज्यादतियों की जांच करने के लिए, जांच आयोग नियुक्त किया जाए,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस0 एस0 परमार, मण्डलायुक्त, शिमला मण्डल को जांच आयोग के रूप नियुक्त करते हैं और यह निदेश देते है कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर वह उपरोक्त घटना से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों पर जांच करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे: —

1. दोनों वर्गों के बीच हुई झड़पों के पीछे क्या तथ्य तथा परिस्थितियां थीं ?
2. दोनों वर्गों के बीच झड़पों के कारण हुई हिंसा के क्या कारण थे ?
3. सार्वजनिक और निजि सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ ?
4. क्या स्थिति को नियंत्रण म रखने के लिए पुलिस द्वारा अपनाए गए उपाय और जल प्रयोग सही थे ?
5. अन्य मामले, जो आयोग की राय में उपर्युक्त घटना के तथ्यों को सुनिश्चित करने में सुसंगत हों' ?

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की आगे यह राय है कि इस सम्बन्ध में की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा इस मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (2), (4) और (5) के उपबन्धों को आयोग के लिए लागू किया जाए और उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदश दते हैं कि धारा 5 की उप-धारा (2) (4) और (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

आयोग का मुख्यालय धर्मशाला में होगा।

आदेशानसार,

एम0 एस0 मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 10*th December*, 1990

No. Home (A) A (9)-48/90.—Whereas there had been agitations in Dharamshala in favour and against the implementation of Mandal Commission Report after the announcement of its implementation by the Government of India in the month of August, 1990;

And whereas group clashes had taken place on 6th September, 1990 between the anti and pro reservationist groups in Dharamshala, resulting in violence and damages to public and private property;

And whereas the Police force deployed in Dharamshala had intervene to maintain law and order on 6th September, 1990;

And whereas it has been alleged that the police had committed excesses during the group clashes;

And whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in public interest to appoint a Commission of Inquiry to enquire into certain specific matters of public importance and reasons behind group clashes and alleged police excesses;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 3 of Commission of Inquiries Act, 1952, is pleased to appoint Shri S. S. Parmar, Divisional Commissioner, Shimla Division Government of Himachal Pradesh as the Commission of Inquiry and to enquire into and report on the following matters in relation to the aforesaid incident, within one month from the date of this notification:—

(1) What were the facts and circumstances leading to group clashes ?

(2) What were the reasons of violence behind these clashes ?

(3) What was the extent of damage to public and private property ?

(4) Whether the means employed and force used by the Police in handling the situation was justified ?

(5) Any other matter which in the opinion of the Commission is relevant for the ascertainment of facts relating to the aforesaid incident.

Further, the Governor, Himachal Pradesh, is of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, the provisions of sub-section (2), (4) and (5) of section 5 of the Commission of Inquiries Act, 1952, should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested him under sub-section (1) of section 5 of the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to direct that the provisions contained in sub-section (2), (4) and (5) of section 5 of the said Act, shall apply to the Commission.

The Commission of Inquiry shall have its headquarters at Dharamshala.

By order,
M. S. MUKERJEE
Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।